नकली को ब्रांडेड बताकर बेचने वाला शॉप संचालक गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त किए जींस और पैंट

बिलासपुर। बिलासपुर में ब्रांडेड कंपनी के नाम से डुप्लीकेट कपड़ों की बिक्री की जा रही थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने एसएस कलेक्शन में छापेमारी कर संचालक को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में दुकान से लाखों रुपए का ब्रांडेड कंपनी के कपड़ों का नकली उत्पाद बरामद किया गया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

T। प्रदीप आर्य ने बताया कि मुंबई निवासी दीपेश गुप्ता (30) नेत्रिका कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सीनियर फील्ड मैनेजर और जांच अधिकारी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि, पुराना बस स्टैंड कश्यप कॉलोनी स्थित एसएस कलेक्शन में लिवाइस कंपनी के नाम से डुप्लीकेट कपड़े बेचे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत पर कंपनी की तरफ से उन्होंने जांच की है। उन्होंने कंपनी के नाम से नकली उत्पाद बेचने वाले तेलीपारा निवासी दुकान संचालक विजय कुमार आडवानी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उनकी शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों के साथ एसएस कलेक्शन में दबिश दी, जहां लिवाइस कंपनी के डुप्लीकेट कपड़ों को जब्त किया गया। वहीं, संचालक विजय कुमार आडवानी (50) को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कॉपी राइट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

Source: https://chhattisgarhcrimes.in/shop-operator-arrested-for-selling-fake-as-branded-police-seized-jeans-and-pants/